हज्ज व उम्रा से संबंधित महिलाओं के लिए फत्वे

[हिन्दी – **Hindi** – هندي]

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़

शैख मुहम्मद बिन सालेह उसैमीन

शैख अबदुल्लाह बिन जिब्रीन

इफ्ता की स्थायी समिति

अनुवाद : **अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

2012 - 1433

IslamHouse.com

فتاوى تهم المرأة في الحج والعمرة

« باللغة الهندية »

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

وفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

واللجنة الدائمة للإفتاء

ترجمة : عطاء الرحمن ضياء الله

2012 - 1433

IslamHouse.com

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान करदे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

हज्ज व उम्रा से संबंधित महिलाओं के लिए फत्वे

उसका कोई महरम नहीं है और वह हज्ज करना चाहती है

प्रश्न : क्या मुस्लिम महिला के लिए इस बात का अधिकार है कि वह भरोसेमंद औरतों के साथ हज्ज करे, यदि उसके लिए अपने परिवार के किसी व्यक्ति को साथ ले जाना दुर्लभ हो या उसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो ? क्या उसकी माँ को हज्ज के फरीज़ा की अदायगी के लिए उसे अपने साथ ले जाने का अधिकार है या उसकी खाला या उसकी फूफी या कोई भी वयक्ति जिसे वह चयन कर ले ताकि वह उसके साथ उसके हज्ज में महरम रहे ?

उत्तर : सही बात यह है कि उसके लिए हज्ज करने के लिए यात्रा करना जायज़ नहीं है सिवाय इसके कि उसके साथ उसका पति हो या उसका कोई पुरूष महरम हो। अतः उसके लिए भरोसेमंद औरतों के साथ, या गैर मह्रम विश्वस्त पुरूषों के साथ, या अपनी फूफी या अपनी खाला या अपनी माँ के साथ सफर करना जायज़ नहीं है। बल्कि ज़रूरी है कि वह अपने पति या पुरूषों में से अपने किसी महरम के साथ हो। यदि उन दोनों में से किसी को नहीं पाती है जो उसके साथ

जा सके तो जब तक उसकी यह स्थिति बनी रहती है उसके ऊपर हज्ज अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शरई (धार्मिक) सामर्थ्य की शर्त नहीं पाई जाती है, जबकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ﴾ [آل عمران : ٩٧]

"अल्लाह तआला ने उन लोगों पर जो उस तक पहुँचने का सामर्थ्य रखते हैं इस घर का हज्ज करना अनिवार्य कर दिया है।" (सूरत आल-इम्रान : 97)

(इफ्ता की स्थायी समिति)

वह मासिक धर्म की अवस्था में मीक़ात से गुज़री तो वह एहराम नहीं बाँधी फिर वह मक्का से एहराम बाँधी

प्रश्न : ***मैं उम्रा के लिए जा रही थी और मीक़ात से मासिक धर्म की हालत में गुज़री तो मैं एहराम नहीं बाँधी और मक्का में ठहरी रही यहाँ तक कि मैं पवित्र हो गई तो मक्का से ही एहराम बाँधी। तो***

क्या यह जायज़ है या मैं क्या करूँ और मेरे ऊपर क्या अनिवार्य है ?

उत्तर : यह अमल जायज़ नहीं है और वह औरत जो उम्रा करना चाहती है उसके लिए बिना एहराम के मीक़ात को पार करना जायज़ नहीं है यहाँ तक कि यदि वह मासिक धर्म की अवस्था में ही क्यों न हो, अतः वह मासिक धर्म की अवस्था में भी एहराम बाँधेगी और उसका एहराम हो जायेगा और सही होगा, इसका प्रमाण यह है कि अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु की पत्नी असमा बिन्त उमैस ने उस समय बच्चा जना जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज्जतुल वदाअ के इरादे से ज़ुल हुलैफा में उतरे हुए थे, तो उन्हों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास संदेश भेजा कि मैं कैसे करूँ ? आप ने फरमाया : "तुम स्नान करो और किसी कपड़े का लंगोट कस लो, और एहराम बाँधों।" और मासिक धर्म का खून प्रसव के खून के समान है, अतः हम औरत से कहेंगे कि जब वह मीक़ात से गुज़रे और वह उम्रा या हज्ज का इरादा रखती हो : स्नान करो और अपनी यौनि पर कोई कपड़ा बाँध लो और एहराम बाँधो।

और लंगोट या कपड़ा बाँधने का मतलब यह है कि वह अपनी यौनि पर कपड़े का टुकड़ा कस ले और उसे बाँध ले फिर वह एहराम बाँधे चाहे वह उम्रा का एहराम हो या हज्ज का, लेकिन जब वह एहराम बाँध ले और मक्का पहुँच जाए तो वह काबा के पास नहीं जायेगी और उसका तवाफ नहीं करेगी यहाँ तक कि वह पवित्र हो जाए, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हे से जब वह उम्रा के दौरान मासिक धर्म से हो गईं तो फरमाया : **"तुम वह सब काम करो जो हाजी करता है परंतु काबा का तवाफ न करो यहाँ तक कि तुम पवित्र हो जाओ।"** यह बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, और सहीह बुखारी में यह भी है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उल्लेख किया है कि जब वह पवित्र हो गईं तो उन्हों ने काबा का तवाफ किया और सफा व मरवा का चक्कर लगाया। इससे पता चला कि औरत यदि हज्ज व उम्रा का एहराम बाँधे और वह मासिक धर्म की अवस्था में हो या तवाफ से पहले उसे मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह तवाफ व सई नहीं करेगी यहाँ तक कि वह पवित्र हो जाए और स्नान कर ले। लेकिन यदि उसने पवित्रता की हालत में

तवाफ कर लिया है और तवाफ से फारिग होने के बाद उसे मासिक धर्म आया है तो वह अपने कार्यक्रम को जारी रखेगी और सई करेगी भले ही वह मासिक धर्म की हालत में है, तथा वह अपने सिर के बाल काटेगी और अपने उम्रा को संपन्न कर देगी ; क्योंकि सफा व मरवा के बीच सई के लिए तहारत की शर्त नहीं है।

{शैख इब्ने उसैमीन}

प्रश्न : ***मोज़े और दस्ताने में औरत के एहराम बाँधने का क्या हुक्म है ? और क्या उसके लिए उस कपड़े को निकालना जायज़ है जिसमें उसने एहराम बाँधा है ?***

उत्तर : उसके लिए मोज़े या जूते (में एहराम बाँधना सर्वश्रेष्ठ है, यह उसके लिए बेहतर और अधिक पर्दा का कारण है, और यदि वह लंबे (विस्तृत**)** कपड़े में एहराम बाँधती है तो यह पर्याप्त है, और यदि उसने मोज़े में एहराम बाँधा है फिर उसने उसे निकाल दिया है तो कोई बात नहीं है जैसे कि आदमी जूतों में एहराम बाँधता है फिर उन्हें जब चाहे उतार देता है, इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, लेकिन उसके लिए

दस्ताने में एहराम बाँधना जायज़ नहीं है ; क्योंकि हज्ज या उम्रा का एहराम बाँधने वाली औरत के लिए दस्ताने पहनना निषिद्ध है, इसी तरह वह अपने चेहरे पर निक़ाब भी नहीं पहनेगी, इसी के समान बुर्क़ा इत्यादि भी है, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे इससे मना किया है, लेकिन उसे चाहिए कि अपने दुपट्टे या चादर को गैर मह्रम पुरूषों की उपस्थिति में अपने चेहरे पर डाल लिया करे, इसी तरह तवाफ और सई में भी करे, क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि उन्हों ने कहा : क़ाफिले हमारे पास से गुज़रते थे जबकि हम अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे, जब वे हमारे बराबर में होते तो हम अपनी चादरों को अपने सिर से चेहरे पर डाल लिया करते थे, फिर जब वे हम से आगे निकल जाते तो हम उसे खोल लेते थे।'' इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने उल्लेख किया है।

{शैख इब्ने बाज़}

उन औरतों का हुक्म जो कमज़ोरों के साथ मुज़दलिफा से रवाना हो जाती हैं

प्रश्न : ***उन औरतों का क्या हुक्म है जो चाँद के गायब होने के बाद कमज़ोर लोगों के साथ मुज़दलिफा से रवाना हो जाती हैं और कंकरी मारती हैं ?***

उत्तर : औरतों के लिए भीड़ भाड़ के डर से चाँद के डूबने के बाद कमज़ोरों के साथ मुज़दलिफा से प्रस्थान करना और मिना पहुँचकर जमरतुल अक़बह को कंकरी मारना जायज़ है।

मुवफ्फक़ इब्ने कुदामा अल–मुगनी में कहते हैं : कमज़ोरों और महिलाओं को पहले भेजने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, और जो सहाबा अपने परिवार के कमज़ोर लोगों को पहले भेज दिया करते थे उनमें अब्दुर्रहमान बिन औफ और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा शामिल हैं। और यही कथन अता, सौरी, शाफई, अबू सौर, और असहाबुर्राय का भी है, और इस बारे में हम किसी मुखालफत (विरोध) करने वाले को नहीं जानते हैं,

और इस लिए कि इसके अंदर आसानी और उन (कमज़ोरों) से भीड़ के कष्ट और कठिनाई को दूर करना और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अमल का अनुसरण करना पाया जाता है। इमाम शौकानी ने नैलुल अवतार में फरमाया : दलीलों से पता चलता है कि कंकरी मारने का समय उस व्यक्ति के लिए जिसके पास रूख्सत नहीं है सूरज के उगने के बाद है, और जिनके पास रूख्सत है जैसे कि औरतें और उनके अलावा कमज़ोर लोग तो उनके लिए इस से पहले कंकरी मारना जायज़ है। तथा इमाम नववी ने मजमूउल फतावा में फरमाया कि शाफई और असहाब ने फरमाया : सुन्नत का तरीक़ा यह है कि औरतों और उनके अलावा अन्य कमज़ोर लोगों को मुज़दलिफा से फज्र के निकलने से पहले आधी रात के बाद ही मिना रवाना कर दिया जाए ताकि वे लोगों की भीड़ से पहले ही जमरतुल अक़बह को कंकरी मार सकें। फिर उन्हों ने इस अर्थ को दर्शाने वाली हदीसों का उल्लेख किया है।

{शैख सालेह अल-फौज़ान}

क्या औरत हज्ज और उम्रा में अपने सिर को मुँडा सकती है ?

प्रश्न : क्या औरत के लिए हज्ज और उम्रा में अपने सिर के बालों को मुँडाना जायज़ है ?

उत्तर : औरत हज्ज और उम्रा के लिए अपने सिर के बाल के सिरे से उंगली के पोर के बराबर बाल काटेगी, उसके लिए सिर मुँडाना जायज़ नहीं है। 'अल–मुग़्नी' में है : औरत के लिए धर्मसंगत बाल काटना है मुँडाना नहीं, इसमें कोई मतभेद नहीं है।

इबनुल मुंज़िर ने फरमाया : विद्वानों की इस बात पर सर्वसहमति है, क्योंकि सिर मुँडाना उनके हक़ में मुसला (विकृत) है। तथा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''औरतों पर सिर मुँडाना नहीं है, बल्कि उनके ऊपर बाल काटना अनिवार्य है।'' इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है तथा अली रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्हों ने कहा:

अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरत को सिर मुँडाने से मना किया है।

तथा इमाम अहमद कहते थे : वह हर चोटी से उंगली के पोर के बराबर बाल काटेगी, और यही कथन इब्ने उमर, शाफई, इसहाक़ और अबू सौर का है।

अबू दाऊद कहते हैं : मैं ने इमाम अहमद को सुना कि उनसे एक औरत के बारे में पूछा गया जो अपने पूरे सिर से बाल को काटती है, तो उन्हों ने कहा : हाँ, वह अपने बाल को अपने सिर के अगले हिस्से की ओर एकत्रित कर लेगी फिर अपने बाल के किनारे से उंगली के एक पोर के बराबर बाल काट लेगी। इमाम नववी ने अल–मजमूअ में फरमाया : विद्वानों की इस बात पर सर्वसहमति है कि औरत को बाल मुँडाने का हुक्म नहीं दिया जायेगा, बल्कि उसका काम अपने सिर के बाल को काटना है ; क्योंकि उसके हक़ में बाल मुँडाना बिद्अत और मुस्ला (विकृत) है।

{शैख सालेह अल–फौज़ान}

क्या औरतों के लिए हज्ज के मनासिक की अदायगी के लिए विशिष्ट पोशाक हैं ?

प्रश्न : ***क्या यह अनिवार्य है कि औरत हज्ज के कार्यक्रम को अंजाम देते समय कुछ निर्धारित रंगों के कपड़े पहने ?***

उत्तर : औरत के लिए हज्ज में पहनने के लिए कुछ विशिष्ट कपड़े नहीं हैं, बल्कि वह ऐसा कपड़ा पहनेगी जिसके पहनने की आदत (परंपरा) है जो उसके शरीर को छुपाने वाला हो और उसमें ज़ीनत (श्रृंगार) और पुरूषों की समानता न पाई जाती हो, तथा मोहरिमा औरत को बुर्क़ा और निक़ाब पहनने से रोका गया है जो विशिष्ट रूप से चेहरे के लिए सिला या बुना गया होता है, तथा उसे दस्ताने पहनने से रोका गया है जो विशिष्ट रूप से दोनों हथेलियों के लिए सिला या बुना गया होता है। तथा उसके ऊपर अपने चेहरे को बुर्क़ा और निक़ाब के अलावा से छुपाना तथा अपनी हथेली को दस्ताने के अलावा से ढाँपना अनिवार्य है, क्योंकि वे दोनों पर्दा (की

चीज़) हैं जिनको छुपाना अनिवार्य है, तथा उसे एहराम की हालत में उन दोनों को सामान्य रूप से ढाँपने से नहीं रोका गया है, बल्कि उसे मात्र बुर्क़ा व निक़ाब और दस्ताने के द्वारा ढाँपने से रोका गया है।

{शैख सालेह अल-फौज़ान}

उसने बाल काटने के अलावा हज्ज के सभी कार्य किए

प्रश्न : ***एक महिला ने हज्ज किया और उसने हज्ज के सभी काम किए परंतु उस ने अनजाने में या भूलकर अपने बाल नहीं काटे, और अपने देश पहुँच गई और वे सभी काम कर चुकी है जो एहराम की हालत में निषिद्ध हैं तो अब उसके ऊपर क्या अनिवार्य है ?***

उत्तर : यदि मामला ऐसा ही है जैसाकि वर्णन किया गया है कि उस महिला ने भूलकर या अनजाने में बाल काटने के अलावा सभी काम किए हैं, तो उसके ऊपर अनिवार्य है कि उसे जैसे ही याद आए वह अपने देश में ही हज्ज को पूरा करने की नीयत से अपने सिर के बाल काट ले, और अनजाने

में या भूलकर उसके विलंब करने के बदले में उसके ऊपर कुछ भी अविार्य नहीं है, हम अल्लाह तआला से सभी के के लिए तौफीक़ और कुबूलियत का प्रशन करते हैं। यदि उसके पति ने बाल काटने से पहले उसके साथ संभोग किया है तो उसके ऊपर एक दम अनिवार्य है, और वह एक बकरी, या ऊँट का सातवाँ हिस्सा या गाय का सातवाँ भाग है जिसे वह मक्का में हरम के गरीबों के लिए ज़ब्ह करेगी, किंतु हरम से बाहर निकलने के बाद अपने देश या उसके अलावा में संभोग करने की अवस्था में वह जहाँ भी चाहे ज़ब्ह करे और गरीबों में वितरित कर दे।

{इफता की स्थायी समिति}

अगर औरत के सिर के बाल बिना इच्छा के गिर जायें

प्रश्न : यदि एहराम की हालत में महिला के सिर से उसकी इच्छा के बिना कोई बाल गिर जाए तो वह क्या करे ?

उत्तर : अगर मोहरिम के सिर से – चाहे वह पुरूष हो या महिला – उसके वुजू के अंदर मसह करते समय या धुलते समय कुछ बाल गिर जायें तो इससे उसे कोई नुक़सान नहीं पहुँचेगा, इसी तरह यदि आदमी की दाढ़ी से या उसकी मूँछ से या उसके नाखून से कोई चीज़ गिर जाए तो उसे कोई नुक़सान नहीं पहुँचेगा यदि उसने ऐसा जानबूझकर अपनी इच्छा से नहीं किया है। बल्कि निषिद्ध और वर्जित यह है कि वह जानबूझकर एहराम की हालत में अपने बाल या नाखून में से कोई चीज़ काटे। इसी तरह औरत जानबूझकर किसी चीज़ को नहीं काटेगी, परंतु यदि कोई चीज़ बिना इच्छा और इरादा के गिर जाए तो ये मृत बाल हैं जो हिलने से गिर जाते हैं उनके गिरने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

{शैख इब्ने बाज}

क्या एहराम की हालत में औरत अपने कपड़े बदल सकती है ? तथा निक़ाब और दस्ताने का हुक्म

प्रश्न : *क्या वह महिला जिसने हज्ज का एहराम बाँधा है जब चाहे अपने कपड़े बदल सकती है ? और क्या एहराम के लिए कुछ निर्धारित (विशिष्ट) कपड़े हैं, तथा एहराम बाँधने वाली औरत के लिए निक़ाब और दस्ताने का क्या हुक्म है ?*

उत्तर : एहराम बाँधने वाली औरत के लिए अपने कपड़े बदल कर दूसरे कपड़े पहनना जायज़ है चाहे यह किसी आवश्यकता से हो या बिना आवश्यकता के, लेकिन यह शर्त है कि दूसरे कपड़े पुरूषों के सामने बेपर्दगी और श्रृंगार का प्रदर्शन करने वाले नहीं होने चाहिए, इस आधार पर जब वह अपने उस कपड़े को बदलना चाहे जिसमें उसने एहराम बांधा है तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं है, तथा औरत के लिए एहराम के विशिष्ट कपड़े नहीं हैं, बल्कि वह जो कपड़े चाहे

पहन सकती है, परंतु वह निक़ाब नहीं पहनेगी और न ही दस्ताने पहनेगी।

निक़ाब उस कपड़े को कहते हैं जो चेहरे पर पहना जाता है और उसमें दोनों आँखों के लिए सूराख होता है, रही बात दस्ताने की तो वे हाथ में पहने जाते हैं और उन्हें हाथों का मोज़ा कहा जाता है, जहाँ पुरूष का संबंध है तो उसके लिए एक विशिष्ट पोशाक है और वह चादर और तहबंद है, अतः वह क़मीज़, पैजामा, पगड़ी, टोपी (कंटोप) और मोज़े नहीं पहनेगा, जबकि उसके लिए अपनी चादर को और अपने तहबंद को बदलना जायज़ है।

{शैख इब्ने उसैमीन}

दस्ताने और मोज़े का हुक्म

प्रश्न : क्या औरत के लिए हज्ज में दस्ताने और मोज़े पहनना जायज़ है ?

उत्तर : जहाँ तक मोज़ों की बात है तो वह हज्ज में पहन सकती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरत को उससे मना नहीं किया है, रही बात दस्तानों की तो वह उन्हें नहीं पहनेगी क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरत को एहराम की हालत में दस्ताने पहनने से मना किया है।

{शैख इब्ने उसैमीन}

हज्ज में वकील बनाना

प्रश्न : महिलाओं *का एक समूह विदाई तवाफ करने गया और उनके साथ उनके पति भी थे, और हरम में बहुत भीड़ थी, तो उन्हों ने अपने पतियों को अपना वकील बना दिया सिवाय एक के जिसने तवाफ करने की मन्नत मानी थी, तो तवाफ में वकील बनाने का क्या हुक्म है ? और इस नज़्र का हुक्म क्या है ?*

उत्तर : तवाफ में किसी को वकील बनाना जायज़ नहीं है चाहे वह ज़ियारत का तवाफ हो या विदाई तवाफ, अतः जिसने उसे छोड़ दिया उसका हज्ज पूरा नहीं हुआ, लेकिन विदाई तवाफ की छतिपूर्ति एक दम (कुर्बानी) के द्वारा हो सकती है जिसे मक्का में हरम के गरीबों के लिए ज़बह किया जायेगा, इसी तरह विदाई तवाफ मासिक धर्म वाली महिला या प्रसुता से समाप्त हो जाता है यदि वह ज़ियारत का तवाफ कर चुकी है, जहाँ तक इस नज़्र (मन्नत) की बात है तो उसका कोई महत्व नहीं है, और अनिवार्य तवाफ के लिए मन्नत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह शरीअत के मूल प्रमाण के द्वारा अनिवार्य है, तो जिस ने किसी ऐसे तवाफ की नज़्र मानी जो अनिवार्य नहीं है तो वह मन्नत मानने की वजह से उसके लिए ज़रूरी और उसके ऊपर अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (الحج: ٢٩)

“फिर वे अपना मैल–कुचैल दूर करें और अपनी मन्नत पूरी करें और अल्लाह के पुराने घर का तवाफ करें।” (सूरतुल हज्ज : 29).

{शैख इब्ने जिब्रीन}

प्रश्न : *बीमार, महिला और बच्चे की ओर से कंकरी मारने में किसी को वकील बनाने का क्या हुक्म है ?*

उत्तर : बीमार, और असक्षम महिला जैसे कि गर्भवती, भारी भरकम और कमज़ोर महिला जो जमरात को कंकरी नहीं मार सकती तो उनकी ओर से किसी दूसरे को वकील बनाने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, परंतु जो महिला ताक़तवर और चुस्त व फुर्त है तो वह स्वयं कंकरी मारेगी, और जो दिन के समय कंकरी मारने में असक्षम है वह सूरज ढलने के बाद रात में कंकरी मारे, और जो ईद के दिन कंकरी मारने में असक्ष है तो ग्यारह ज़ुलहिज्जा की रात को ईद के दिन की कंकरी मारे, और जो ग्यारह तारीख की कंकरी मारने में असक्षम हो तो वह बारह की रात को ग्यारह के दिन की कंकरी मारेगा, और जो बारह तारीख की कंकरी मारने में असक्षम है या सूरज ढलने के बाद कंकरी मारना उससे छूट गया तो वह

तेरह की रात में बारह के दिन की कंकरी मारेगा, और फज्र के निकलने पर कंकरी मारने का समय समाप्त हो जाता है।

जहाँ तक दिन में कंकरी मारने की बात है तो तश्रीक़ के दिनों (ग्यारह, बारह और तेरह के दिनों) में सूरज ढलने के बाद कंकरी मारी जायेगी।

{शैख इब्ने बाज़}

एहराम की हालत में महिला का अपने चेहरे और हथेलियों को खोलना

प्रश्न : ***पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एहराम वाली औरत के बारे में फरमाते हैं कि वह न निक़ाब पहने और न ही दस्ताने पहने तो क्या मोहरिमा औरत अपने चेहरे और हथेली को खोल कर रखेगी ?***

उत्तर : पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "एहराम बाँधने वाली औरत न निक़ाब पहनेगी और न दस्ताने

पहनेगी।'' अर्थात उसके लिए निक़ाब पहनना जायज़ नहीं है किंतु जब पुरूष उसके निकट से गुज़रें तो उस के ऊपर अनिवार्य है कि निक़ाब के अलावा से अपने चेहरे को ढाँप ले, वह उसे दुपट्टे से ढाँप ले जिस तरह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में औरतें किया करती थीं। क्योंकि निक़ाब चेहरे के लिए पोशाक है जिस तरह की क़मीज़ शरीर के लिए है, जहाँ तक दस्ताने पहनने की बात है तो वह एहराम की हालत में औरत पर हराम है और उसके अलावा हालत में हराम नहीं है, किंतु जब मर्द उसके निकट से गुज़रें तो वह अपने दोनों हाथों को अपने अबाया या अपने कपड़े से ढाँप लेगी।

{शैख इब्ने उसैमीन}

मासिक धर्म या प्रसव की हालत में हज्ज की नीयत करना

प्रश्न : ***यदि औरत ने मासिक धर्म या प्रसव की हालत में हज्ज की नीयत की है तो वह क्या करेगी***

? और यदि वह अपने एहराम बाँधने के बाद या अपने तवाफ के खत्म होने के बाद मासिक धर्म की हालत में हो गई है तो क्या प्रावधान है ?

उत्तर : यदि औरत मीक़ात से गुज़रे और वह उम्रा या हज्ज का इरादा रखती है जबकि वह प्रसुता या मासिक धर्म की अवस्था में है तो वह वही सब करेगी जो पवित्र औरतें करती हैं अर्थात वह स्नान करेगी, किंतु वह कपड़े का लंगोट बांध लेगी और एहराम बांधेगी (अर्थात हज्ज या उम्रा की नीयत करेगी) फिर जब पवित्र हो जायेगी तो तवाफ और सई करेगी और सिर के बाल काटेगी और उसका उम्रा पूरा हो जायेगा।

लेकिन यदि उसका मासिक धर्म या प्रसव एहराम बाँधने के बाद आया है तो वह अपने एहराम की हालत पर बनी रहेगी यहाँ तक कि वह पवित्र हो जायेगी, फिर वह तवाफ व सई करेगी और अपने बाल काटेगी, लेकिन यदि उसका मासिक धर्म़ तवाफ के बाद आया है तो वह अपने उम्रा को जारी रखेगी और उसे कोई चीज़ नुक़सान नहीं पहुँचायेगी, क्योंकि जो काम तवाफ के बाद का है उसमें नापाकी से पवित्रता

(यानी वज़ू के साथ होने) तथा मासिक चक्र से पवित्रता की शर्त नहीं है।

{शैख इब्ने उसैमीन}

मैं ने हज्ज किया और मुझे मासिक धर्म आ गया तो मुझे शर्म आई और मैं हरम के अंदर गई और तवाफ व सई की और नमाज़ पढ़ी

प्रश्न : ***मैं ने हज्ज किया और मुझे मासिक धर्म आ गया तो मुझे शर्म आई कि मैं इसके बारे में किसी को बतलाऊँ और मैं हरम में दाखिल हो गई, चुनाँचे नमाज़ पढ़ी, तवाफ और सई की, तो मेरे ऊपर क्या अनिवार्य है ज्ञात रहे कि वह प्रसव के बाद आया है ?***

उत्तर : यदि औरत मासिक धर्म वाली या प्रसव की अवस्था में है तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वह नमाज़ पढ़े, चाहे वह मक्का में हो या अपने शहर में हो या किसी भी स्थान पर हो,

क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरत के बारे में फरमाया है : ''क्या ऐसा नहीं है कि जब उसे मासिक र्धम आता है तो वह न नमाज़ पढ़ती है और न रोज़ा रखती है।'' तथा मुसलमानों की इस बात पर सर्वसहमति है कि मासिक धर्म वाली औरत के लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है और न ही उसके लिए नमाज़ पढ़ना जायज़ है, और इस औरत पर जिसने ऐसा किया है, अनिवार्य है कि अल्लाह से तौबा करे और उससे जो कुछ हुआ है उससे क्षमा याचना करे। जहाँ तक उसके मासिक धर्म की हालत में तवाफ करने का संबंध है तो वह सही नहीं है, परंतु उसकी सई सही है, क्योंकि राजेह कथन यह है कि हज्ज में सई को तवाफ से पहले करना जायज़ है, इस आधार पर उसके ऊपर अनिवार्य है कि वह दुबारा तवाफ करे, क्योंकि तवाफ इफाज़ा हज्ज के स्तंभों में से एक स्तंभ है, और उसके बिना दूसरा तहल्लुल (यानी पूरी तरह एहराम से हलाल होना) संपन्न नहीं हो सकता, इस आधार पर यदि वह शादीशुदा है तो उसका पति उसके साथ सहवास नहीं करेगा यहाँ तक कि वह तवाफ कर ले, और यदि वह शादीशुदा नहीं है तो उसका निकाह करना जायज़

नहीं है यहाँ तक कि वह तवाफ कर ले। और अल्लाह तआला ही सबसे बेहतर ज्ञान रखता है।

{शैख इब्ने उसैमीन}

क्या प्रसुता और मासिक धर्म वाली महिला के लिए विदाई तवाफ करना अनिवार्य है ?

प्रश्न : *क्या मासिक धर्म वाली महिला और प्रसुता, तथा असक्षम और बीमार के लिए विदाई तवाफ करना अनिवार्य है? ज्ञात रहे कि जब मिना में ऐसा मामला घटित हुआ तो मैं ने प्रश्न किया किंतु विद्वानों के बीच सर्वसहमति नहीं थी, उनमें से कुछ ने कहा कि उनके लिए विदाई तवाफ अनिवार्य नहीं है, और कुछ ने कहा कि उनके लिए तवाफ विदा करना ज़रूरी है ?*

उत्तर : प्रसुता और मासिक धर्म वाली औरत पर विदाई तवाफ करना अनिवार्य नहीं है, जहाँ तक असक्षम व्यक्ति की बात है

तो उसे उठाकर तवाफ कराया जायेगा, और यही मामला बीमार व्यक्ति का भी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''तुम में से कोई भी प्रस्थान न करे यहाँ तक कि उसका अंतिम काम काबा का तवाफ न हो जाए।'' तथा सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस से प्रमाणित है कि उन्हों ने कहा : ''लोगों को आदेश दिया गया है कि उनका अंतिम काम बैतुल्लाह का तवाफ हो, किंतु मासिक धर्म वाली औरत को छूट दी गई है।'' तथा एक दूसरी हदीस में आया है जिससे पता चलता है कि प्रसुता महिला मासिक धर्म वाली औरत के समान है उसके ऊपर विदाई तवाफ अनिवार्य नहीं है।

{इफता की स्थायी समिति}

एहराम की हालत में सोना पहनने का हुक्म

प्रश्न : औरत के लिए एहराम की हालत में सोना जैसे कि अंगूठी आदि पहनने का क्या हुक्म है,

जबकि ज्ञात रहे कि वे अक्सर हालतों में गैर-महरम मर्दों के सामने प्रदर्शित होते रहते हैं ?

उत्तर : औरत के लिए एहराम की हालत में जो भी सोना चाहे पहनने में कोई आपत्ति की बात नहीं है यदि वह अपव्यय की सीमा तक नहीं पहुँचता है यहाँ तक कि दोनों हाथों में कंगन और अंगूठियाँ पहनना भी जायज़ है, लेकिन ऐसी हालत में वह फित्ना पैदा होने के भय से उसे पराये (गैर महरम) मर्दों से ढाँप कर रखेगी।

{शैख इब्ने दसैमीन}

हज्ज के कारण मासिक चक्र निरोधक या उसे विलंब करने वाली गोलियाँ प्रयोग करने का हुक्म

प्रश्न : ***कुछ ऐसी गोलियाँ उपलब्ध हैं जो औरतों से मासिक धर्म को रोक देती हैं या उसे उसके समय से विलंब कर देती हैं, क्या उन्हें केवल हज्ज के***

समय मासिक धर्म के आने के डर से उपयोग करना जायज़ है ?

उत्तर : औरत के लिए हज्ज के समय मासिक धर्म के आने के डर से मासिक धर्म निरोधक गोलियाँ उपयोग करना जायज़ है, और यह विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के बाद ही किया जायेगा कि उसका उपयोग औरत के लिए सुरक्षित है, इसी तरह वह रमज़ान में भी कर सकती है यदि वह लोगों के साथ रोज़ा रखना चाहती है।

{इफता की स्थायी समिति}

प्रश्न : ***यदि हज्ज तमत्तुअ करने वाली महिला एहराम बाँधे फिर बैतुल्लाहिल हराम पहुँचने से पहले उसे मासिक धर्म आ जाए, तो वह क्या करेगी ? क्या वह उम्रा करने से पहले हज्ज करेगी ?***

उत्तर : वह अपने उम्रा के एहराम पर बनी रहेगी, यदि वह नौ जुलहिज्जा से पहले पवित्र हो जाती है और उसके लिए उम्रा

करना संभव है तो वह उम्रा मुकम्मल करेगी, फिर हज्ज का एहराम बाँधेगी और हज्ज के अवशेष कामों को पूरा करने के लिए अरफा जायेगी, यदि वह अरफा के दिन से पहले पवित्र नहीं होती है तो वह उम्रा पर हज्ज को दाखिल कर लेगी यह कहते हुए :

"اللّٰهُمَّ إني أحرمت بحج مع معمرتي"

उच्चारण : ''अल्लाहुम्मा इन्नी अह्रम्तो बि–हज्जिन मा उम्रती''

''ऐ अल्लाह ! मैं ने अपने उम्रा के साथ हज्ज की नीयत कर ली।'' इस तरह वह हज्ज क़िरान करने वाली हो जायेगी और वह लोगों के साथ (अरफा में) ठहरेगी, और हज्ज के कामों को पूरा करेगी, और उसका एहराम और ईद के दिन या उसके बाद उसका ज़ियारत का तवाफ करना और सई करना उसके लिए हज्ज और उम्रा के लिए काफी होगा, और उसके ऊपर क़िरान की हदी (क़ुर्बानी) अनिवार्य है जिस तरह कि तमत्तुअ करने वाले पर अनिवार्य है।

{शैख इब्ने जिब्रीन}

प्रश्न : क्या मस्‌आ (सई करने का स्थान) मस्जिद हराम का हिस्सा है ? और क्या मासिक धर्म वाली औरत उसके निकट जायेगी ? और क्या मस्‌आ की ओर से हरम में दाखिल होने वाले पर तहिय्‌यतुल मस्जिद पढ़ना अनिवार्य है ?

उत्तर : प्रत्यक्ष यही होता है कि मस्‌आ मस्जिद का भाग नहीं है, इसीलिए उन दोनों के बीच विभाजक (अलगाव की) दीवार बना दी गई है किंतु वह एक छोटी सी दीवार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें लोगों के लिए भलाई है, क्योंकि यदि उसे मस्जिद में दाखिल कर दिया जाए और उसका हिस्सा बना दिया जाए तो औरत अगर तवाफ और सई के बीच मासिक धर्म से हो जाए तो उसके लिए सई करना निषिद्ध हो जायेगा, और मैं जिसका फत्वा देता हूँ वह यह है कि यदि उसे तवाफ के बाद और सई से पहले मासिक धर्म आ जाए तो वह सई करेगी, क्योंकि मस्‌आ मस्जिद का हिस्सा नहीं समझा जाता है। जहाँ तक तहिय्‌यतुल मस्जिद की बात है तो

कहा जा सकता है कि यदि इंसान ने तवाफ के बाद सई की है फिर वह मस्जिद में आया है तो वह उसे पढ़ेगा, और यदि उसने तहिय्यतुल मस्जिद को छोड़ दिया तो उसके ऊपर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है। और बेहतर यह है कि वह अवसर से लाभ उठाए और दो रकअत नमाज़ पढ़े क्योंकि इस जगह नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत है।

{शैख इब्ने उसैमीन}

प्रश्न : ***क्या औरत के लिए भीड़ के डर से जमरात को कंकरी मारने के लिए किसी दूसरो को वकील बनाना जायज़ है, जबकि उसका हज्ज फरीज़े का है, या कि वह स्वयं कंकरी मारेगी ?***

उत्तर : जमरात को कंकरी मारने में भीड़ के समय औरत के लिए जायज़ है कि वह अपनी तरफ से कंकरी मारने के लिए किसी को वकील बना दे, यद्यपि उसका हज्ज फरीज़े का हज्ज है, और यह रूख्सत उसकी बीमारी या उसकी कमज़ोरी कि वजह से, या उसके गर्भ की रक्षा के लिए है यदि वह

गर्भवती है, तथा उसके सतीत्व और पवित्रता की रक्षा के लिए है ताकि सख्त भीड़–भाड़ में उसकी पवित्रता का अपमान न हो।

{इफ्ता की स्थायी समिति}

हज्ज में प्रसुता और मासिक धर्म वाली औरत

प्रश्न : ***उस मुसलमान महिला का हुक्म क्या है जिसे उसके हज्ज के दिनों में मासिक धर्म आ गया, क्या वह हज्ज उसके लिए किफायत करेगा ?***

उत्तर : अगर औरत को उसके हज्ज के दिनों में मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह वे सभी काम करेगी जो एक हाजी करता है सिवाय इसके कि वह काबा का तवाफ नहीं करेगी, और न ही सफा और मरवा के बीच सई करेगी यहाँ तक कि वह पवित्र हो जाए, जब वह पवित्र हो जाए और स्नान कर ले तो तवाफ और सई करे, और यदि उसे मासिक धर्म उस समय आया है जब उसके ऊपर हज्ज के कामों में से केवल

विदाई तवाफ बाक़ी था तो वह सफर कर जायेगी और उसके ऊपर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है क्योंकि विदाई तवाफ उससे समाप्त हो गया और उसका हज्ज सही है, और इस अध्याय में मूल सिद्धांत वह हदीस है जिसे तिर्मिज़ी और अबू दाऊद ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास –रज़ियल्लाहु अन्हुमा– से रिवायत किया है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''प्रसुता और मासिक धर्म वाली औरतें जब मीक़ात पर आयेंगीं तो वे दोनों स्नान करेंगीं, एहराम बाँधेंगीं और काबा का तवाफ करने के अलावा हज्ज के सभी काम करेंगीं।'' तथा सहीह (बुखारी) में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि वह उम्रा के कामों की अदायगी करने से पहले मासिक धर्म से हो गईं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वह हज्ज का एहराम बाँधें (यानी हज्ज की नीयत करें) सिवाय इसके कि वह काबा का तवाफ न करें, और वे सभी काम करें जो हाजी करता है और उसे उम्रा पर दाखिल कर लें। तथा वह हदीस जिसे बुखारी ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नी सफिय्या मासिक धर्म से हो गईं

तो उन्हों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इसका चर्चा किया तो आप ने फरमाया : ''क्या यह हमें रोक लेंगीं?'' लोगों ने कहा : उन्हों ने तवाफ इफाज़ा कर लिया है। तो आप ने फरमाया : ''तब नहीं'' तथा एक रिवायत में है कि उन्हों ने कहा : तवाफ इफाज़ा करने के बाद सफिय्या को मासिक धर्म शुरू हो गया, आयशा कहती हैं: मैं ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उनके मासिक धर्म का चर्चा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''क्या यह हमें रोक देने वाली हैं?'' मैं ने कहा : उन्हों ने इफाज़ा का तवाफ कर लिया था फिर उन्हें मासिक घर्म शुरू हुआ है। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: ''तब वह प्रस्थान करें।''

{इफता की स्थायी समिति}

तथा अल्लाह तआला हमारे पैगंबर मुहम्मद, उनकी संतान और उनके साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।